न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 29/2016

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1बालाराम पुत्र धन्नाराम 2जसाराम पुत्र प्रभुराम 3शंकरराम पुत्र रामदीन 4पुखराज उर्फ राजेन्द्र पुत्र हजारीराम 5सोहनलाल पुत्र अमाराम जातियान जाट निवासीगण खेडा किशनपुरा तहसील रिंयाबडी जिला नागौर।		1अब्दुल खां पुत्र जमाल खां 2नजीर खां पुत्र जमाल खां 3मिसा खां पुत्र जमाल खां 4लाल खां पुत्र जमाल खां 5आलम खां पुत्र जमाल खां जातियान मुसलमान सिपाही निवासीगण अरनियाला तहसील रिंयाबडी जिला नागौर। 6तहसीलदार (एलआर) रिंयाबडी।

उपस्थिति–

1– श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

2– श्री श्याम कुमार व्यास अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर से।

3– श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 6 की ओर से।

आदेश

दिनांक 12.09.2018

1 प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम अरनियाला (खेडा किशनपुरा) के गत खसरा नं. 402 रकबा 36.16 बीघा गै.मु. नाडी भूमि के नये खसरा नं. 180, 181 व 182 बने तथा नये खसरा नं. 180 रकबा 2.38 हैक्ट., खसरा नं. 259/180 रकबा 0.24 हैक्ट., खसरा नं. 260/180 रकबा 0.64 हैक्ट., खसरा नं. 261/180 रकबा 0.24 हैक्ट., खसरा नं. 262/180 रकबा 0.32 हैक्ट., खसरा नं. 263/180 रकबा 0.64 हैक्ट., खसरा नं. 264/180 रकबा 0.08 हैक्ट. जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हो रखे है, को निरस्त करवाए जाने को लेकर प्रस्तुत रेफरेन्स राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 एवं सपठित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

2 प्रार्थीगण का रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर से श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता तथा अप्रार्थी सं. 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कुन्दन सिंह आचीणा उपस्थित हुए। प्रार्थीगण द्वारा अपने रेफरेन्स के समर्थन में नकल मिलान क्षेत्रफल दिनांक 27.01.16, नकल खतौनी ग्राम अरनियाला संवत 2008 से 2022, फोटोप्रति नामान्तरकरण की, नकल खतौनी ग्राम अरनियाला संवत 2010 से 2013, नकल खतौनी ग्राम अरनियाला संवत 2022 से 2025, नकल खतौनी ग्राम अरनियाला संवत 2030 से 2033, नकल खतौनी ग्राम अरनियाला संवत 2046 से 2049, नकल खतौनी ग्राम खेडा किशनपुरा संवत 2050 से 2053, नकल खतौनी ग्राम खेडा किशनपुरा संवत 2062 से 2085, नकल खतौनी संवत 2071 से 2074 मौजा खेडा किशनपुरा दिनांक 06.11.15 तथा नकल ट्रेस नक्शा दिनांक 06.11.15 पेश की गई है।

3 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा तर्क दिया कि -

3(1) गत खसरा नं. 402 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा गै.मु. नाडी की भूमि मौजा अरनियाला वर्तमान नवनिर्मित राजस्व ग्राम खेडा किशनपुरा तहसील रिंयाबडी में स्थित है। पुराने खसरा नं. 402 के नया खसरा नं. 180 है तथा खसरा नं. 180 की भूमि का अप्रार्थीगण द्वारा अलग अलग बंटवाडा करवा लेने से खसरा नं. 180 के नये खसरा नं. 264/180 रकबा 0.08 हैक्ट., खसरा नं. 262/180 रकबा 0.32 हैक्ट., खसरा नं. 180 रकबा 2.38 हैक्ट., खसरा नं. 263/180 रकबा 0.64 हैक्ट., खसरा नं. 260/180 रकबा 0.64 हैक्ट., खसरा नं. 261/180 रकबा 0.24 हैक्ट., खसरा नं. 259/180 रकबा 0.24 हैक्ट. जो खसरान वर्तमान में नवनिर्मित ग्राम खेडा किशनपुरा में स्थित है और अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज हो रखी है तथा उक्त भूमि शुरू से ही जलोद भूमि गै.मु. नाडी के रूप में रहती चली आयी है। इस भूमि मे मौके पर नाडी/तालाब स्थित है और उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में नाडी के रूप में दर्ज है तथा नाडी में बरसात का पानी पुराना खसरा नं. 402 की भूमि से

अपर कलक्टर, नागौर

इकट्ठा होता है। जो पानी आम जनता व पशुधन के पीने के काम में आता है। उक्त भूमि आवंटन होने व किसी के खातेदारी में दर्ज होने व कृषि योग्य भूमि नही है। उक्त भूमि जलोद भूमि गैर मुमकिन नाडी के रूप में सैकडों वर्षों से रहती चली आयी है और आज दिन उक्त भूमि नाडी के रूप में उपयोग एवं उपभोग में आ रही है तथा उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग की भूमि है। इस भूमि का कानूनी रूप से किसी व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज करना व आवंटन करना वर्जित है तथा गै.मु. नाडी की भूमि की खातेदारी अधिकार कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नही दिया जा सकता। फिर भी विधि विरूद्व एवं अवैध तरीके से उक्त भूमि के पुराना खसरा नं. 402 में से 28 बीघा भूमि की तहसीलदार मेडता ने आदेश क्रमांक 33 दिनांक 02.03.65 के जरिये स्व. जमाल खां पुत्र खाजू खां को खातेदारी अधिकार दिये है। जो बिल्कुल ही अवैध व कानूनी प्रावधानों के खिलाफ व विधि विरूद्व आदेश होने से निरस्तनीय है।

3(2) गत खसरा नंबर 402 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा हाल खसरा नं. 180 रकबा 28 बीघा भूमि की किस्म परिवर्तन करने का तहसीलदार को कोई विधिक अधिकार नही था। फिर भी तहसीलदार ने बिना कोई अधिकार होते हुए भी उक्त गै.मु. नाडी की भूमि की किस्म परिवर्तन कर विधि विरूद्व तरीके से खातेदारी में दर्ज की गई है। जो खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है।

3(3) जमाल खां के बाद उक्त भूमि की खातेदारी उसके वारिसान अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई और फिर अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि का अलग अलग बंटवाडा करवा लिया। जिस बंटवाडा के माफिक उक्त भूमि के अलग अलग खसरे दर्ज हुए। जो वर्तमान में नवनिर्मित राजस्व ग्राम खेडा किशनपुरा में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हो रखी है। लेकिन उक्त भूमि सार्वजनिक/गै.मु. नाडी की भूमि है। जिस भूमि की अप्रार्थीगण को कानूनी रूप से खातेदारी प्राप्त करने का व अलग अलग खातेदारी दर्ज करवाने का कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नही था। जिस भूमि की खातेदारी प्राप्त करने व खातेदारी अधिकार देना कानूनी रूप से ही वर्जित है। फिर भी विधि विरूद्व रूप से खातेदारी अधिकार अप्रार्थीगण को दिये गये है। जो प्रारंभ से ही अवैध व शून्य है। जो निरस्तनीय है।

3(4) खसरा नं. 402 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा मे से 28 बीघा भूमि की खातेदारी स्व. जमाल खां के पक्ष में गैर कानूनी से दर्ज की गई। जबकि उक्त भूमि की किस्म शुरू से ही जलोद गै.मु. नाडी के रूप में रहती चली आयी है। जो भूमि अकृषि योग्य भूमि व जलोद भूमि है। जो भूमि आम जनता के सार्वजनिक रूप से उपयोग एवं उपभोग में आती है। उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग की भूमि होने से धारा 16 आटीएक्ट के तहत खातेदारी दर्ज करना व खातेदारी अधिकार प्राप्त करना वर्जित है। उक्त भूमि की खातेदारी जमाल खां को गैर कानूनी रूप से प्राप्त हुई है। जिसका प्रभाव शून्य है तथा शून्य व अवैध प्रभाव से किसी को भी विधिवत रूप से किसी भी तरह का अधिकार प्राप्त नही होता। इसलिये गत खसरा नं. 402 हाल खसरा नं. 180, 259/180, 260/180, 261/180, 262/180, 263/180, 264/180, मे दर्ज किया जाकर उस भूमि को गै.मु. नाडी के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

3(5) वादग्रस्त खसरा नं. 402 की भूमि सार्वजनिक हितों की भूमि है। जो पूर्व में मौजा अरनियाला वर्तमान में नवनिर्मित राजस्व ग्राम खेडा किशनपुरा मे स्थित है। लेकिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने गैर कानूनी रूप से व गलत रूप से स्व. जमाल खां के नाम खातेदारी में व उसके बाद अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज की है। जो आदेश विधि विरूद्व व सार्वजनिक हितों के विपरीत है। बल्कि उक्त खसरान की भूमि शुरू से ही नाडी के रूप में काम में आती रही है। इस भूमि से तालाब में बरसात का पानी इकट्ठा होता है। जो सार्वजनिक हित की भूमि होने से इस भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भी विधि के अनुसार किसी को भी खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। जिससे भी अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है।

3(6) गत खसरा नं. 402 व हाल खसरा नं. 180 गै.मु. नाडी पीढियों से रहती चली आयी है। जो सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग में आती है। इस भूमि पर प्रार्थीगण का प्रत्यक्ष हित निहित करता है। जिससे प्रार्थीगण को यह आवेदन पत्र पेश करने की लोकस स्टेण्डाई है।

3(7) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के प्रावधान आज्ञापक है और आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए तहसीलदार मेडता ने अपने आदेश क्रमांक 33 दिनांक 02.03.65 के तहत पूर्णतया विधि विरूद्व रूप से उक्त भूमि की स्व. जमाल खां को खातेदारी अधिकार दिया है तथा विधि विरूद्व आदेश प्रारंभ से शून्य व अप्रभावी होता है। शून्य प्रभावों के तहत व गैर कानूनी रूप से प्राप्त किये गये अधिकारों को कभी भी भी समाप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों को समाप्त किया जाना न्यायसंगत है।

अपर कलक्टर, नागौर

3(8) माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 इस प्रकरण में पूर्णतया लागू होता है तथा वादग्रस्त भूमि शुरू से ही गैर मुमकिन नाडी थी। इसलिये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना व अन्य न्यायिक निर्णयों की पालना में उक्त भूमि की अप्रार्थीगण की खातेदारी को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि को पुनः राजकीय भूमि नाडी के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

3(9) विवादित भूमि नाडी है। जो सार्वजनिक रूप से उपयोग एवं उपभोग में आम जनता के लिये आती रही है। इस भूमि के किसी भी भू भाग पर किसी भी तरह का कब्जा करने व बरसात के पानी में रूकावट करने का कोई किसी तरह का विधिक अधिकार नही है। क्योंकि अप्रार्थीगण को जो खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। वह बिल्कुल ही शून्य अवैध है तथा शून्य प्रभाव के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग की भूमि पर कब्जा करने व हस्तान्तरण आदि करने का कानूनी रूप से कोई अधिकार नही होता है तथा आराजी भूमि पानी का भराव क्षेत्र होने से ऐसी भूमियों पर राजस्थाना काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन, नियमन व खातेदारी अधिकार दिया जाना वर्जित है। ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार देय नही होने से आवंटन निरस्त किया जाना चाहिय तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2017(1) पेज 273 से 274, आरआरटी 2016–17(Supp.) पेज 224 से 226, आरआरटी 2013–14(Supp.) पेज 299 से 300, आरआरटी 2013–14(Supp.) पेज 301 से 302, आरआरटी 2014–15(Supp.) पेज 513 से 515, आरआरटी 2014–15(Supp.) पेज 494 से 495, आरआरटी 2014–15(Supp.) पेज 522 से 524, आरआरटी 2013–14(Supp.) पेज 287 से 290, आरआरटी 2013–14(Supp.) पेज 291 से 292, आरआरटी 2013–14(Supp.) पेज 292 से 294, आरआरटी 2013–14(Supp.) पेज 294 से 296, आरआरटी 2013(1) पेज 436 से 439, आरआरटी 2013(1) पेज 64 से 67, आरआरटी 2009(2) पेज 839 से 841, आरआरटी 2009(2) पेज 778 से 780, आरआरटी 2008(1) पेज 511 से 515, आरआरटी 2006–07(Supp.) पेज 598 से 601 तथा आरआरटी 2007(1) पेज 1 से 3 नजीरें प्रस्तुत की है।

4 वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के वकील की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि –

4(1) प्रार्थीगण ने ग्राम खेडाकिशनपुरा स्थित खसरा सं. 180, 259/180, 260/180, 261/180, 262/180, 263/180, 264/180 जो कि अप्रार्थी सं. 1 से 5 की खातेदारी में दर्ज है। उक्त खातेदारी निरस्त कर खातेदारी नाडी के रूप में दर्ज करने हेतु उक्त रेफरेन्स आवेदन पेश किया है।

4(2) विवादित साबिका खेत खसरा नं. 402 में से 28 बीघा भूमि दिनांक 02.03.65 को अप्रार्थी सं. 1 से 5 के पिता जमाल खां के नाम खातेदारी दर्ज की गई। तब से लेकर आज तक उक्त विवादित खेताय की खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 से 5 के पिता जमाल खां व उनके देहांत के पश्चात् अप्रार्थी सं. 1 से 5 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रहती चली आयी है। मौके पर उक्त भूमि कभी भी गै.मु. नाडी के रूप में उपयोग में नही आयी बल्कि पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से काश्त के रूप में उपयोग में ली जाती रही है। उक्त भूमि मौके पर किसी प्रकार की सार्वजनिक उपयोग की भूमि कभी नही रही है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

4(3) प्रार्थीगण द्वारा उक्त रेफरेन्स आवेदन 53 वर्षो पश्चात् न्यायालय हाजा में पेश किया गया है। इतने वर्ष उपरांत रेफरेन्स के जरिये खातेदारी समाप्त किया जाना पूर्ण रूप से न्याय का हनन है। इतने लंबे समय के पश्चात् खातेदारी अधिकार समाप्त नही किये जा सकते। इस कारण भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2012(1) पेज 419 से 424 तथा आरआरटी 2007(1) पेज 717 से 720 नजीरें पेश की है।

4(4) पिछले 53 वर्षो से भूमि की किस्म बारानी काबिल काश्त रही है एवं मौके पर भी काबिल काश्त भूमि है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 1 से 5 के नाम दर्ज खातेदारी को पुनः निरस्त कर गै.मु. नाडी दर्ज किया जाना इतने लंबे समय के पश्चात् विधि सम्मत नही है। इस कारण भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन निरस्तनीय है।

4(5) उक्त रेफरेन्स भूमि धारी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नही कर प्राईवेट पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्राईवेट पक्षकार को उक्त रेफरेन्स प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नही है। इस कारण भी उक्त रेफरेन्स निरस्तनीय है।

5 राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में हिस्सा लेते हुए तर्क दिया कि आराजी भूमि गैर मुमकिन नाडी होना जमाबंदी संवत् 2008 से 2022 से स्पष्ट है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

पानी का बहाव एवं भराव क्षेत्र को खातेदारी अधिकार दिये जाने से प्रतिबंधित भी किया गया है। इसलिये रेफरेन्स स्वीकार किया जाना चाहिये।

6 उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि गै.मु. नाडी होने से यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (2) व (6) के अन्तर्गत आने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते है। वादग्रस्त भूमि गत खसरा न0 402 रकबा 36.16 बीघा गैरमुमकिन नाडी ग्राम अरनियाला की नकल जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2008 से 2022 में दर्ज है, जिसके हाल खसरा नं0 180, 181 व 182 बने है। इस प्रकार उक्त भूमि गैरमुमकिन नाडी के रूप में दर्ज होना रेकर्ड से साबित है। तत्पश्चात् उक्त भूमि खसरा नं0 402 रकबा 28 बीघा जमाल पुत्र सराजु खां (अप्रार्थी सं. 1 से 5 के पिता) के पक्ष में नामान्तरकरण सं. 146 दिनांक 15.05.1965 के द्वारा खातेदारी प्रदान की गई है एवं इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अंकन किया गया है, जो छायाप्रति नामान्तरण दिनांक 15.05.1965 एवं नकल जमाबंदी संवत् 2018–21 की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है। इसके पश्चात् जमाबंदी संवत् 2030 से 2036 में अप्रार्थी सं. 1 से 5 अब्दुल, नजीर खां, लाल खां, मिसा खां, आलम खां पिता जमाल खां के नाम आराजी 28 बीघा का खातेदारी में अंकन आया है। जमाबंदी भू प्रबन्ध संवत 2062 से 2085 के अनुसार ग्राम खेडाकिशनपुरा के हाल खसरा नं. 180 रकबा 4.54 हैक्ट. भूमि उक्त अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 के खातेदारी में आयी है। तत्पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा आपसी बंटवाडा कर लिया जाने से हाल खसरा नं. 180 रकबा 2.38 हैक्ट., खसरा नं. 263/180 रकबा 0.64 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 3 मिसा खां, खसरा नं. 259/180 रकबा 0.24 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 2 नजीर खां, खसरा नं. 260/180 रकबा 0.64 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 4 लाल खां, खसरा नं. 261/180 रकबा 0.24 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 1 अब्दुल खां व खसरा नं. 262/180 रकबा 0.32 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 5 आलम खां व खसरा नं. 264/180 रकबा 0.08 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 1 से 5 के सामलाती कुल 4.54 हैक्ट. भूमि जमाबंदी संवत 2071–74 के अनुसार रिकार्ड में दर्ज है। साबिका खसरा नं. 402 के हाल खसरा नं. 182 रकबा 1.41 हैक्ट. गै.मु. नाडी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जो आराजी भूमि के चिपती है तथा इस नाडी में पानी का आवक क्षेत्र होना प्रतीत होता है। अंगोर, पायतन, गोचर, नाडी आदि किस्म की भूमियॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत नियमन/आवंटन से प्रतिबंधित भूमियॉ है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट पिटिशन सं0 1536/03 में दि0 02.08.2004 को निर्णय पारित कर केचमेन्ट एरिया की भूमि को पूर्ववत लाने के निर्देश दिये हैं, जबकि वादग्रस्त भूमि से वर्षा का पानी निकटवर्ती स्थित नाडी में आने से यह उक्त नाडी का कैचमेंट एरिया है तथा सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 146 दिनांक 15.05.65 व इसके पश्चात अप्रार्थी सं. 1 से 5 के पक्ष में दर्ज किये गये खातेदारी इन्द्राज निरस्त किये जाने योग्य है।

7 उक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम अरनियाला के गत खसरा नं0 402 रकबा 36.16 बीघा में से 28 बीघा गैर मुमकिन नाडी के वर्तमान खसरा नं0 हाल खसरा नं. 180 रकबा 2.38 हैक्ट., खसरा नं. 263/180 रकबा 0.64 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 3 मिसा खां, खसरा नं. 259/180 रकबा 0.24 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 2 नजीर खां, खसरा नं. 260/180 रकबा 0.64 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 4 लाल खां, खसरा नं. 261/180 रकबा 0.24 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 1 अब्दुल खां व खसरा नं. 262/180 रकबा 0.32 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 5 आलम खां व खसरा नं. 264/180 रकबा 0.08 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 1 से 5 के सामलाती कुल 4.54 हैक्ट. किस्म गै0मु0 बा. प्रथम के रूप में दिये गये खातेदारी अधिकार एवं इस आधार पर स्वीकृत नामान्तरण सं. 146 दिनांक 15.05.65 ग्राम अरनियाला वर्तमान ग्राम खेडाकिशनपुरा के सम्बन्ध में राजस्व जमाबंदी संवत् 2018 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात के आधार पर अप्रार्थीगण को दिये गये खातेदारी अधिकार निरस्त करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है।

8 आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/9/16

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अपर कलक्टर, नागौर